

भारत बन रहा मैन्युफैक्चरिंग हब : पीयूष

मेक इन इंडिया के 11 साल

भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता
पीएलआई योजना से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन

नई दिल्ली, 25 सितंबर: 'मेक इन इंडिया' पहल के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल रहा है। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस पहल ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोयल ने लिखा, पिछले 11 वर्षों में रिकॉर्ड विदेशी निवेश,

नई पहलों का अनावरण



पिछले साहस, गोयल ने 'मेक इन इंडिया' को और गति देने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण किया। इनमें परिचालन दक्षता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम तैयार करने की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) भी लॉन्च किया, जो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त, निवेश के लिए तैयार और निर्यात में प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 'मेक इन इंडिया' की यह यात्रा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रही है।

रोजगार सृजन किया है। साथ ही, युवाओं और महिलाओं को ऊर्जा से प्रेरित स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इनोवेशन केंद्र बनाया है। गोयल ने कहा, यह यात्रा उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्टअप, उद्यमियों और स्वदेशी भावना को अपनाने वाले प्रत्येक नागरिक के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। 'मेक इन इंडिया' की 11 साल की कहानी पुनरुत्थान की कहानी है, और अगला दशक आत्मनिर्भर व विकसित भारत के वैश्विक नेतृत्व की कहानी लिखेगा। केंद्रीय मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर देश ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

व्यापार करने में आसानी में सुधार, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बनना, निर्यात में एक ऐतिहासिक कदम।

कितनी प्रगति की है। उन्होंने उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसने बड़े पैमाने पर निवेश और

उद्योग मंत्री ने निवेशकों को दिया हरसंभव मदद का भरोसा

नयी दिल्ली, 25 सितंबर. बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने गुरुवार को यहां एक कार्यक्रम




में निवेशकों से राज्य उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए सरकार द्वारा हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मिश्रा ने एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग विभाग की ओर से हाल में स्वीकृत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संबंध में निवेशकों से संवाद किया। इससे पहले इस पैकेज को पटना में लॉन्च किया गया था। उद्योग मंत्री

वीआईआईपी-2025 के माध्यम से मुक्त जमीन औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम

ने बीआईआईपीपी की प्रशंसा करते हुए कहा, यह पैकेज बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करेगा। यह बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। हमारा लक्ष्य है कि बिहार न केवल देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरे।

डिगो और एसबीआई ने पेश किया को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड

इंडिगो एसबीआई कार्ड का उपयोग करके खरीदारी पर तीन प्रश रिवॉइ मिलेगा



नयी दिल्ली, 25 सितंबर. विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी में गुरुवार को को-ब्रांडेड इंडिगो एसबीआई कार्ड पेश करने की घोषणा की। यह प्रीमियम क्रैडिट कार्ड दो वेरिएंट, इंडिगो एसबीआई कार्ड और इंडिगो एसबीआई कार्ड एलिट में लॉन्च किया गया है।



ग्राहकों को इंडिगो के इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी ऑफर, होटल और यात्रा बुकिंग सहित अन्य श्रेणियों पर किये गये सभी खर्चों पर रिवॉइ प्वाइंट मिलेंगे। इंडिगो के टिकट बुक कराने या उसके साझेदारों से साथ होटल बुकिंग आदि पर इंडिगो एसबीआई कार्ड एलिट के उपयोगकर्ताओं को दो


शेयर बाजारों में लगातार पांचवें दिन गिरावट

मुंबई, 25 सितंबर. विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका के साथ जारी व्यापार तनाव की चिंता में घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट रही और बीएसई का 30 शेयर्स वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स पिछले कारोबारी दिवस को तुलना में 555.96 अंक (0.68 प्रतिशत) लुप्तकर 81,159.68 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 166.05 अंक नीचे 24,890.85 अंक पर बंद हुआ। पांच दिन में संसेक्स लगभग 1854 अंक और निफ्टी-50 करीब 532 अंक गिरकर 09 सितंबर के बाद के निचले स्तर पर आ चुके हैं। चौरतरफ बिकवाली के बीच सिर्फ धातु सेक्टर की कंपनियों में निवेशकों ने विश्वास दिखाया।

कंज्यूमर सेक्टर में सुधार के संकेत : रिपोर्ट

ग्राभीण मांग वास्तविक मजदूरी से बनी मजबूत जीएसटी कटौती से खाद्य-पेय कंपनियों को बड़ा लाभ



नई दिल्ली, 25 सितंबर. भारत के कंज्यूमर सेक्टर में एक साल से अधिक समय तक शहरी मांग में कमजोरी बने रहने के बाद अब सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार, यह सुधार अनुकूल आधार, आयकर में कटौती और जीएसटी रेट में कमी जैसे कारकों से प्रेरित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन उपायों से लगभग 22-2.5 लाख करोड़ सीधे उपभोक्ताओं के हाथ में आएंगे,

जो कुल घरेलू खर्च का लगभग 2-8% होगा। एचएसबीसी ने कहा कि कॉन्सिडर के बाद की तेजी के बाद से खपत का माहौल सुस्त था, लेकिन हाल के नीतिगत बदलावों से इस सेक्टर को जरूरी बढ़ावा मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, सुस्त रही शहरी मांग में अब सुधार होने की उम्मीद है, जबकि बढ़ती वास्तविक मजदूरी के कारण ग्रामीण मांग पहले से ही मजबूत बनी हुई है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अधिक बचत या ऋण चुकाने की प्रवृत्ति से यह रिकवरी धीमी हो सकती है।

जीएसटी रेट में कटौती का प्रभाव

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी रेट में कटौती से घरेलू और पर्सनल केयर सेगमेंट की तुलना में खाद्य और पेय कंपनियों को अधिक लाभ होगा। छोटे पैक वाले बिरकुट, नमकीन स्नैक्स और वॉकलेट जैसे उत्पादों की खपत में सीधे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि साबुन और ओरल केयर जैसी श्रेणियों में मांग में केवल एक बार उछाल देखने को मिल सकता है।

ट्रेडिंग के तरीकों पर पुनर्विचार करेगा एनएसई

नयी दिल्ली, 25 सितंबर. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान ने बुधवार को कहा कि ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग के तौर तरीकों पर एक्सचेंज पुनर्विचार कर रहा है। चौहान ने यहां उनके जीवन पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के मौके पर यह बात कही। इंडिया हैबिटेड सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में कई लोग पैसा गंवा रहे हैं, ऐसे आंकड़े हैं मिले हैं। इसे देखते हुए इस बात पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि इसके ट्रेडिंग के तौर



तरीकों को बदलने की जरूरत है या नहीं। इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री चौहान ने कहा, हमारे घरों में सदियों से चाकू का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन किसी बच्चे का हाथ कट जाने के डर से हम चाकू पर प्रतिबंध नहीं लगा देते हैं। घर में मां

स्कोडा की ऑक्टाविया आरएस करेगी वापसी

नयी दिल्ली, 25 सितंबर. कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया ने गुरुवार को भारतीय बाजार में ऑक्टाविया आरएस कार की नये स्वरूप में वापसी की घोषणा की। यह ग्लोबल आइकॉन भारत में सीमित मात्रा में पूरी तरह निर्मित इकाई के रूप में उपलब्ध होगा। ऑक्टाविया की वापसी की टिप्पणी करते हुए स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा, इस साल की शुरुआत में, हमने वादा किया था कि एक ग्लोबल आइकॉन भारत में वापसी करेगा। हमने ऑक्टाविया के साथ उस वादे को पूरा किया है। यह एक

देखती है कि बच्चा चाकू तक न पहुंच सके। इसी तरह से हमें यह देखना है कि कौन इस तरह के इंटरूमेंट को हैंडल करने के लिए सक्षम है और कौन नहीं? उन्होंने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध के विचार को खारिज कर दिया। आशीष चौहान - स्थितप्रज्ञ नाम की इस पुस्तक के लेखक डॉ मयूर शाह हैं. संस्मरण के रूप में पेश इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया. उन्होंने कहा कि वित्त राज्य मंत्री के तौर पर मुद्रा योजना की लॉचिंग के समय उन्होंने आशीष चौहान का योगदान को देखा है।

प्रतिशत रिवॉइ मिलेगा. अन्य सभी श्रेणियों में खर्च के लिए क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत रिवॉइ मिलेगा. ये रिवॉइ इंडिगो ब्लूचिप्स के रूप में होंगे. कार्डधारक इन्हें इंडिगो की सेवाओं जैसे फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, सीट अपग्रेड, भोजन और फास्ट फॉरवर्ड जैसी सेवाओं के वाउचर आदि के माध्यम से भुना सकते हैं।



बैंकों के डिजिटल कामकाज में तेजी लाने के लिए समझौता

मुंबई, 25 सितंबर. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के मंच राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने के लिए सीएसईई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनयूसीएफडीसी की यहां गुरुवार को जारी एक विज्ञापन के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को सुरक्षित और अनुपालन योग्य डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस करना है। यह काम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा और इसकी शुरुआत आधार-आधारित ई-केवाईसी, ई-साइन, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, डिजिटल एकीकरण, ई-स्टाम्प सेवाएं, क्लाउड होस्टिंग, डेटा सेंटर प्रबंधन और साइबर

सुरक्षा समाधानों से होगी। इसके बाद के चरणों में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, कियोस्क-आधारित सेवाएं और डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएंगे। विज्ञापन के अनुसार एनयूसीएफडीसी अपने सदस्य शहरी सहकारी बैंकों में इसे अपनाने में मदद करेगा, जबकि सीएसईई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड अपना प्लेटफॉर्म, एपीआई और परिचालन सहायता प्रदान करेगी। इस समझौते के तहत एक संयुक्त शासन दल कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण की देखरेख करेगा। इस समझौते में प्रशिक्षण, अनुपालन सहायता, शिकायत निवारण और डेटा सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिसमें यूसीबी के संस्थागत प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए लागू नियामक मानदंडों के साथ तालमेल बिटाने पर जोर दिया गया है।

तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने मोर्चा खोला

चेन्नई. कांग्रेस पार्टी जहां भी प्रादेशिक पार्टियों के साथ गठबंधन में है वहां उसने अपने विस्तार के लिए मोर्चा खोल दिया है. बिहार के बाद कांग्रेस ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा सीटों को मांग शुरू कर दी है।

पाटी को सरकार में शामिल होना चाहिए. कांग्रेस विधायक ने कहा है कि राज्य में डीएमके सरकार की बजाय 'इंडिया' ब्लॉक की लड़ाई है. बिहार के बाद कांग्रेस ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा सीटों को मांग शुरू कर दी है।

चाहिए. गौरतलब है कि 239 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में 2021 में कांग्रेस सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

वृद्धि दे रहा, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अपनी विरासत के साथ-साथ डिजिटल युग में भी कदम रखने की आवश्यकता है. यह सहयोग शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिकीकरण और लचीलेपन के तथ पर मजबूती से स्थापित करेगी. सीएसईई एनपीवी के समूह अध्यक्ष ध्यान पाटिल ने कहा, सीएसईई एनपीवी की डिजिटल रीट, एनयूसीएफडीसी के संस्थागत अधिदेश के साथ मिलकर, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली तकनीकी मंच तैयार करने वाली है.

Form No. IV
(See Sub rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building,
Near Head Post Office, Jabalpur (M.P.)
(Area for Jurisdiction - Madhya Pradesh)
(Summar under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2(A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
Original Application No. 1248/2024

Applicant : Central Bank of India,
VERSUS
Defendants : Mr. Ashish Jain

1. Mr. Ashish Jain S/o Shri Vimal Kumar Jain
167/2, Archana Nagar, Bade Kua ke Pass, Near Nagar Nigam,
Indore (M.P.) 452007
Also at: LG-10, Mule Tower, 164, M. G. Road,
Indore (M.P.) 452025

Whereas, OA No. 1248/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 26.11.2024.
Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you recovery of debts of Rs. 22,17,864.15/- (Application along with copies of documents etc. annexed)
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:-
1. To show cause within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No.3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear **01.10.2025 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **24th September, 2025.**
Authorised Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

अचल संपत्ति का बिक्री हेतु उच्चतर सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपटित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपटित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल वित्तसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), जो बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक 28-10-2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थान / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 28-10-2025 को दोपहर 2:00 बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहूर्तबंद ई-नीलामी हेतु ईएमपी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27-10-2025 को समय यथेष्ट 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय / टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9/11, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्र. सं.	ख़ाता क्रं.	ऋणी(बी)/सह-ऋणी(बी)/कानूनी वारिस(बी)/उत्तराधिकारी(बी) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	10115975 & 9583298	श्री इमरान मोहम्मद श्रीमती रासिया अंसारी	रु. 372495/- (रुपये तीन लाख बहतर हजार चार सौ पैंचास मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 10115975 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 3528875/- (रुपये पैंतीस लाख अठाईस हजार आठ सौ पैंचहत्तर मात्र) की राशि अनुबंध क्र. 9583298 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया रु. 3901370/- (रुपये उनचालीस लाख एक हजार तीन सौ सत्तर मात्र) 10-11-2022	Rs. 36,82,000/- (रुपये छैंतीस लाख बयासी हजार मात्र) अक्षि जमा राशि (ईएमपी) - Rs. 3,68,200/- (रुपये तीन लाख अड़सठ हजार दो सौ मात्र) कब्जे का प्रकार - भौतिक	रु. 5335469/- (रुपये तिरपन लाख पैंतीस हजार चार सौ उनसत्तर मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9583298 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 613405/- (रुपये छः लाख तेरह हजार चार सौ पांच मात्र) की राशि अनुबंध क्र. 10115975 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया रु. 5948874/- (रुपये उनसाहठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण:- अचल संपत्ति म. नं. 55, ए वन गार्डन, वार्ड-16, ग्राम निशातपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश के समस्त अधिकार, मांग एवं अंश, क्षेत्रफल - 945 वर्ग फीट।
चतुर्सीमा इस प्रकार है: पूर्व में: प्लॉट नंबर 56, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 54, उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 51.
प्रकटीकरण: उधारकर्ता द्वारा TCHFL के खिलाफ दावर किया गया SA(SA/257/2024) डीआरटी, जबलपुर में लंबित है। इस मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं है।
बोली लगाने से पहले बोली लगाने वालों को उचित जांच कर लेनी चाहिए। नीलामी का परिणाम कानूनी कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कलंका निमाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेबी बिक्री अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लेनी चाहिए, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल <http://bankauctions.in> के माध्यम से दिनांक 28-10-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उद्घोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम नहीं बेची जायेगी। 3. बोली बुद्धि राशि: रु. 10,000/- (दस हजार मात्र)। 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएं 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड डाफ्ट के साथ जमा की जाए। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। 5. आरटीओएस / एनईएमपीएस को माध्यम से ईएमपी के मुहान्त के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 6. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्त यह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अत्यंत है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक 15-10-2025 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को एसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमपी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पूर्ति होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रिविवाय या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 11. सभी जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जत हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारों संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात ऋणगारों/निर्णयों के सूचित देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांभित विवरणों/बिलों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण अथवा संभावनी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया अनलाइन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4ब्लोकर, ब्लॉक नं. 605 ए, छठी मंजिल मेनोवम कामरेशियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ईमेल आईडी: info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@latacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 858983696 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें। 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टैडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट <https://surl.li/vvzyxw> का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं - <https://www.latacapital.com/property-disposal.html>

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
ह/-
स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
(प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक : 26-09-2025 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.